

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

12th Floor, Shakti Bhawan Extension

14-Ashok Marg, Lucknow – 226001

“Save Energy for Benefit of Self and Nation”

यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

12^{वाँ} तल, शक्ति भवन विस्तार

14-अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

“स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाए”

CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्या- 1798 /का० एवं प्रशा०/जल विद्युत/26-03(10)/2000/टी०सी०

दिनांक 15/07/2026

कार्यालय ज्ञाप

यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (जल विद्युत स्कन्ध) के ज्ञाप संख्या-621/का० एवं प्रशा०/जल विद्युत/26-04(69)/2010/वा०-111 दिनांक 06.03.2026 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०) के पद पर In-situ प्रोन्नत किये गये अधोलिखित अभियन्ता को स्तम्भ-03 में उल्लिखित उनके वर्तमान कार्यालय/कार्यस्थल से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-04 में अंकित कार्यालय/कार्यस्थल पर एतद्द्वारा नियमित तैनाती प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/अभिज्ञान सं०/ पदनाम/सेवानिवृत्ति तिथि/ गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थल	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थल
01	02	03	04
01.	श्री राम मिलन सिंह (201018) अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०) 31.01.2035 प्रयागराज	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा (सोनभद्र)	अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी (सोनभद्र)

- उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण काल तथा स्थानान्तरण भत्ता अनुमन्य होगा।
- नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था करते हुए तत्काल कार्यमुक्ति करना सुनिश्चित किया जाये।
- यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो माह की अवधि समाप्त होने के पहले अपने कब्जे वाले विभागीय आवास को खाली करें।
- स्थानान्तरित कार्मिक माह जुलाई, 2026 का वेतन अपने नव तैनाती स्थल से ही आहरित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 1798 /का० एवं प्रशा०/जल विद्युत/26-03(10)/2000/टी०सी०, तददिनांक।

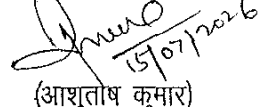
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)/(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(नव परियोजना एवं वाणिज्य), यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (जल विद्युत स्कन्ध), लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (जल विद्युत स्कन्ध), पिपरी-सोनभद्र को इस आशय के साथ प्रेषित सम्बन्धित अधिकारी को कार्यालय ज्ञाप की प्रति हस्तगत कराते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (जल विद्युत स्कन्ध), ओबरा/पिपरी-सोनभद्र।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (जल विद्युत स्कन्ध), पिपरी/ओबरा-सोनभद्र।

[Signature]
15/07/2026

क्रमशः-----02/-

6. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द जल विद्युत गृह, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (जल विद्युत स्कन्ध), पिपरी-सोनभद्र।
7. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (जल विद्युत स्कन्ध), पिपरी-सोनभद्र।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता (मु0), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (जल विद्युत स्कन्ध), लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (जल विद्युत स्कन्ध), लखनऊ।
10. सम्बन्धित — श्री राम मिलन सिंह (201018), अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0)।
11. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(आशुतोष कुमार)
उपसचिव (का0 एवं प्रशा0)